

FORM NO.III

फर्द अहकाम

( नियम 26 )

लत उपखंड अधिकारी मुकाम खखेला  
 निरमा छेवर वर्गे० बनाम श्रवणसिंह वर्गे०  
 दावा नं. 153 सन् 2020

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
<p><u>26-11-2020</u></p> <p>वकील वादीगण श्री सुक्रास चन्द शर्मा ने हाजिर कदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा फर्द रजिस्टर डिज जावे। तलबी वादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 24-12-2020 को पेश हो।</p> <p><u>03-12-2020</u> वादीगण की ओर से जसिये वकील प्रस्तुत प्रपत्र जिसल तलबी पेश होवे पर पत्रावली पूर्व नियत तरीक पेशी से स्वब की जाकर आप पेश हुई। वकील वादीगण ने एक प्रपत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य रजिनामा हो चुका है एवं प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रपत्र स्वीकार कर वादपत्र मिटा किये जाने की मुझसे प्रप्त करौं।</p> <p>चूंकि वकील वादीगण के कथनानुसार पक्षकारों के मध्य रजिनामा हो चुका है एवं वादीगण प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र न्यायधिस में स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र</p>	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

को किश किये जाने की अनुमति प्राप्त की  
जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही  
अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण की  
सूच पर वरूप ही जाती है। पत्रावली के तहत  
शुक्रार होकर नवंबर से फरवरी तथा बाद  
तकनील दखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले  
व्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश कुमार)

RAS

उपरवर्त अधिकारी

शुक्रार (सीकर)